

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-03012024-251111
SG-DL-E-03012024-251111असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|---------|--|----------------------------|
| सं. 01] | दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 2024/पौष 11, 1945 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 358 |
| No. 01] | DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 2024/PAUSHA 11, 1945 | [N. C. T. D. No. 358 |

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय उद्योग आयुक्त

अधिसूचना

दिल्ली, 1 जनवरी, 2024

फा. सं. 1/सीआई/ओएसडी/सीईटीपी का स्थानांतरण/2021-22/4584-97.—दिल्ली सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र अधिनियम, 2000 (2000 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 26.03.2001 की अधिसूचना सं. फा. 7(103)/सीईटीपी/2001/सीआई/351 के अधिक्रमण में, आयुक्त उद्योग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद्वारा दिल्ली जल बोर्ड के नियंत्रण तथा अनुरक्षण के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र में सीईटीपी के संबंध में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र अधिनियम, 2000 के अधीन उपयुक्त प्राधिकारी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने हेतु स्वयं द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रत्यायोजित करते हैं।

यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

मनीष कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (उद्योग)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INDUSTRIES**NOTIFICATION**

Delhi, the 1st January, 2024

F. No. 1/CI/OSD/Transfer of CETPs/2021-22/4584-97.—In exercise of powers conferred under Section 15 of the Delhi Common Effluent Treatment Plants Act, 2000 (Delhi Act 7 of 2000) and in supersession of Notification of this Govt. vide No.F.7(103)/CETP/2001/CI/351 dated 26.03.2001, the Commissioner of Industries, Govt. of National Capital Territory of Delhi hereby delegates powers exercisable by Appropriate Authority to the Chief Executive Officer of Delhi Jal Board (DJB) to exercise powers conferred on, and perform the functions assigned to Appropriate Authority under the Delhi Common Effluent Treatment Plants Act, 2000 in respect of CETPs in the industrial area under the control and maintenance of Delhi Jal Board.

This notification comes into force with effect from the date of its publication in official gazette.

MANISH KUMAR GUPTA, Addl. Chief Secy. (Industries)